

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
42/021	88, 89, 91, 188 RTA	—वा—गाँव	खबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
जगदीश	बनाम	चंद्रकला	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

26/7/21

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्जे सम्मान तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.08.2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज.)

18/10/21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
शिविर... पर पत्रावली पेश
हुई। प्रशासन उपस्थित/अनुपस्थित।
कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली
न्यायालय में दिनांक 21/12/21
को पेश हो।

3/2/22

पत्रावली पूर्ववत स्थिति में आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र O1 Rule 10 इस आदेश का पेश किया है कि द्वारा विचारधीन नद प्रतिवादी या चंद्रकला द्वारा विकारित आशानी का वे चीस किया गया है तो विकारित आशानी केता भी पक्षकार बनाना पावे। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O1 Rule 10 एवं धारा 151 CPC शा 10 में किया गया। करते तलवी प्रतिवादी एवं नदस प्रा.पदा पत्रावली दिनांक 9/3/22 को पेश हो।

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

पत्रावली पेश हुई कमील कारी उपर कमील
 कारी उकरप को आगे भत्याल नष्ट जाटवे
 है। उकरप को Not Press कला जाटवे है
 कारी का काड Not Press के जोरक किय
 उकरा ही पत्रावली केवल इरगाए कोरक काड गमील
 लकील के दाखिल करल है।

Not Press
~~Not Press~~
 मनी
 मनी